(116)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3800–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–10–2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला नीमच, प्रकरण कमांक 10/अ–70/2014–15.

.....

1–श्रीमती रेशमा देवी पति अखेसिंह जी कोठारी
2–मनीष कुमार पिता श्री अखेसिंह जी कोठारी
3–आशिष कुमार पिता श्री अखेसिंह जी कोठारी
निवासी गण चौकन्ना बालाजी के पास नीमच केंट
तहसील व जिला नीमच

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती उपमादेवी पति श्री दिनेश कुमार गोयल
2–श्रीमती अंजुला पति आशीष गोयल
निवासीगण नीमच तहसील व जिला नीमच
3–मौजा पटवारी हल्का कनावटी तहसील नीमच

.....अनावेदकगण

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक– अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 24/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–10–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका के आधिपत्य की ग्राम कनावटी की भूमि सर्वे नम्बर 1/3 रकबा 2.090 हेक्टेयर भूमि पर आवेदकगण द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण

10/अ–70/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर संहिता की धारा 32 एवं व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया कि संहिता की धारा 250 के आवेदन हेतु संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत विधिवत् सीमांकन आवश्यक है कि जिस भूमि पर कब्जा चाहा गया है, वह अनावेदक द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की गई है । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 25–10–2016 को आवेदक की आपत्ति पर विस्तृत अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने अवैध एवं शून्यवत् तथाकथित सीमांकन को आधार बनाकर तहसीलदार नीमच के समक्ष संहिता की धारा 250 का आवेदन दिया है जिसमें आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि सीमांकन के पूर्व आवेदकगण को सूचना पत्र का निर्वाह नहीं कराया गया है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत धारा 32 एवं व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 के आवेदनों बिना विचार किये निरस्त किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन प्रकरण में उपलब्ध प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित है कि स्थल निरीक्षण किया गया इसके साथ ही सीमांकन की पुष्टि की आदेश पत्रिका जिसका की कोई दिनांक नहीं है में भी यही अंकित है कि स्थल निरीक्षण किया गया एवं निशानात कायम कराये गये । इससे स्पष्ट है कि अनावेदकगण की भूमि की कोई नाप नहीं की गई और कोई फील्ड बुक नहीं बनायी गई अतः ऐसे सीमांकन को आधार बनाकर दिया गया संहिता की धारा 250 का आवेदन प्रचलन योग्य ही नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 129 एवं 250 का उल्लेख मात्र किया है आवेदकगण की आपत्ति के मूल बिन्दुओं का ना तो उल्लेख किया गया है और ना ही उन पर कोई सकारण निर्णय दिया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही अवैध एवं मनमानी है जिसे निरन्तर रखा जाना न्यायोचित नहीं है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के उपबंधों के अनुसार होकर न्यायसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

(2) आवेदकगण की ओर से यह तर्क किया गया है कि जब सीमांकन नहीं किया गया है, तब संहिता की धारा 250 के अधीन आवेदन चलने योग्य नहीं है । इस तर्क के जबाव में अनावेदकगण की ओर से बताया गया कि संहिता की धारा 250 के अधीन ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि सीमांकन के पश्चात् ही संहिता की धारा 250 के अधीन आवेदन किया जा सकता है अन्यथा नहीं । संहिता की धारा 250 के अधीन सीमांकन के बिना भी आवेदन किया जा सकता है । इस कारण आवेदकगण का तर्क संहिता की धारा 250 के उपबंधों के प्रतिकूल होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी कारण से आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया है, जो विधिवत् है ।

(4) आवेदकगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर उपलब्ध है । अभी प्रकरण में साक्ष्य प्रतिसाक्ष्य एवं सुनवाई के पश्चात् प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है । ऐसी स्थिति में इस निगरानी में प्रकरण की गुणागुण पर सुनवाई के बगैर ही गुणा गुण पर कोई आदेश पारित किया जाना अपेक्षित नहीं है । उनके द्वारा आवेदकगण की निगरानी निराधार होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण के लिये सीमांकन अनिवार्य तत्व नहीं है । इसी आशय का निष्कर्ष निकालते हुये तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें किसी

प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण में अन्य साक्ष्यों से अपना पक्ष रख सकते हैं । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य हे ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–10–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर